महत्वपूर्ण एवं खास

परीक्षा देने आ रही दो छात्राओं की सड़क हादसे में मौत

बाइक के पहिए में फंसा दुपट्टा

रायपुर (आरएनएस)। खैरागढ़. परीक्षा देने आ रही दो छात्राओं की बढ़ईटोला के पास सडक़ हादसे में मौत हो गई. बाइक पर एक युवक सहित तीन युवतियां सवार होकर खैरागढ़ में परीक्षा देने आ रही थी. इस बीच ये दुर्घटना हो गई। जानकारी के मुताबिक एक युवती का दुपट्टा बाइक के चक्के में फंस गया और बाइक अनियंत्रित होकर दुर्घटना ग्रस्त हो गई. जिससे एक युवती रेशमी की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं दूसरी युवती विक्टोरिया पाल ने अस्पताल पहुंचते ही दम तोड़ दिया। फिलहाल बाइक चालक कैलाश वर्मा और तीसरी युवती लीलावती का इलाज खैरागढ़ सिविल अस्पताल में चल रहा है।

ओव्हर ब्रीज में आध लटकता रहा ट्रक, बड़ी दुर्घटना टली

रायपुर (आरएनएस)। रायपुर के राजेंद्र नगर ओवर ब्रिज में सोमवार-मंगलवार की रात एक तेज रफ्तार डंपर के ड्राइवर ने शराब के नशे में ओवर ब्रिज की दीवार तोड़ दी और फिर डंपर समेत हवा में लटक गया। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस की पेट्रोलिंग टीम को सोमवार की देर रात सूचना मिली कि एक तेज रफ्तार डंपर का राजेन्द्र नगर ओवरब्रिज में एक्सीडेंट हो गया है। मौके पर पहुंचकर पेट्रोलिंग टीम ने देखा तो एक तेज रफ्तार डंपर ओवर ब्रिज की दीवाल तोडक़र आधा हवा में लटक रहा था। गाड़ी के केबिन का हिस्सा हवा में लटक हुआ था। वहीं वाहन का चालक मौके से फरार हो गया था। और इस हादसे में किसी के हताहत नही हुआ था। बताया जा रहा है कि ड्राइवर ने नशे मे था तथा वाहन को तेजी से चला रहा था जिस वजह से हादसा हुआ। फिलहाल वाहन चालक की तलाश जारी है।

सौम्या चौरसिया और रानू साहू से पूछताछ की एसीबी-ईओडब्लू को मिली अनुमति

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार में हुए बहुचर्चित कोल घोटाले के आरोप में जेल में बंद सौम्या चौरसिया और रानू साहू से एसीबी ईओडब्लू को पूछताछ की अनुमति मिल गई है। 4,5 और 7 अप्रैल को ईओडब्ल्यू की टीम जेल में पूछताछ करेगी। ईडी की रिपोर्ट पर पिछले माह एफआईआर के बाद ईओडब्ल्यू सौम्या चौरसिया,रानू साहु से पहली बार जेल में पूछताछ करेगी। पहले चरण में 29-1 अप्रैल तक ईओडब्ल्यू 7 आरोपियों से कर चुकी है। पूछताछ में सौम्या चौरसिया और रानू साहू कुछ बड़े खुलासे भी कर सकती हैं, जिससे पूर्ववत सरकार के अनेक मंत्री और अधिकारी भी घेरे में आ सकते हैं।

अब तक रायपुर में 30 करोड़ 47 लाख नगद जब्त

रायपुर (आरएनएस)। राज्य में लोकसभा आम निर्वाचन-2024 के लिए 16 मार्च को आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के बाद से 1 अप्रैल तक की स्थिति में 30 करोड़ 47 लाख रुपए की अवैध धन राशि तथा वस्तुएं जब्त की गई हैं। इनमें 9 करोड़ 11 लाख रुपए की नगद राशि शामिल हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रवर्तन एजेंसियों (इन्फोर्समेंट एजेंसीज) द्वारा निगरानी के दौरान विगत 1 अप्रैल तक 24 हजार 226 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है, जिसकी कीमत 56 लाख रुपए है। साथ ही 1 करोड़ 60 लाख रुपए कीमत की 885 किलो अन्य नशीली वस्तुएं भी जब्त की गई हैं। सघन जांच अभियान के दौरान 1 करोड़ 64 लाख रुपए कीमत के 24.16 किलोग्राम कीमती आभूषण तथा रत्न भी जब्त किए गए हैं। इनके अतिरिक्त अन्य सामग्रियां, जिनकी कीमत 17 करोड़ 58 लाख रुपए है, भी जब्त की गई हैं।

8 जिलों के आवेदकों से तारमिस्त्री परीक्षा के लिए 30 अप्रैल तक आवेदन आमंत्रित

सारंगढ़ बिलाईगढ़। विद्युत निरीक्षकालय के अंतर्गत संभागीय अनुज्ञापन समिति (विद्युत) रायगढ़ के द्वारा तारमिस्त्री परीक्षा विगत वर्षों की भांति इस वर्ष 2024 के माह-जुलाई में आयोजित की जाएगी। समस्त संबंधित जिले सारंगढ़-बिलाईगढ़, रायगढ़, जशपुर, सरगुजा, कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के आवेदनकर्ता का योग्यता आठवी उत्तीर्ण और किसी भी नियोक्ता जिसके पास फैक्ट्री लाइसेंस हो, उनके अधीन दो वर्ष का कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। आवेदनकर्ता इस परीक्षा हेतु कार्यालयीन अवधि में से निर्धारित आवेदन पत्र निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र कार्यालय कार्यपालन अभियंता (वि.सु.) एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक, छ.ग. शासन रायगढ़ संभाग रायगढ़ दुर्गा चौक उत्तर चक्रधरनगर रायगढ़ (छ.ग.) पिनकोड 496001 में डाक द्वारा या सीधे 30 अप्रैल 2024 तक जमा कर सकते हैं। निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र मान्य नहीं किए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए उक्त कार्यालय या मोबाइल नंबर 9424193036, 9977165344 से संपर्क किया जा सकता है।

हाईकोर्ट से बीएड अभ्यर्थियों को लगा तगड़ा झटका, प्राथमिक शिक्षकों के लिए डीएड पास अभ्यर्थी मान्य

बिलासपुर-रायपुर। आरएनएस

बिलासपुर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए बीएड उत्तीर्ण सहायक शिक्षकों की नियुक्ति को निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि प्राथमिक शिक्षकों के लिए केवल डीएड पास अभ्यर्थी ही मान्य होंगे। कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया है कि वैसे सहायक शिक्षक, जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, उनकी नियुक्ति निरस्त करते हुए 6 सप्ताह में केवल डीएलएड पास अभ्यर्थियों कोर्ट ने डीएलएड अभ्यर्थियों को शामिल कर पुनरीक्षित चयन सूची बनाने के निर्देश दिए हैं द्यन्यायालय ने प्राथमिक शिक्षकों के लिए डीएलएड को ही मान्य करते हुए, बीएड को अमान्य किया हैं द्य राज्य शासन ने दिनांक 4 मई 2023 को सहायक शिक्षकों की भर्ती विज्ञापन जारी किया था द्य जिसके तहत डीएलएड के साथ बीएड योग्यताधारी को भी सहायक शिक्षक की भर्ती के लिए आवेदन का योग्य माना था। डीएलएड उत्तीर्ण शिक्षकों ने सेवा भर्ती नियम और विज्ञापन को इस आधार पर चुनौती दी कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार प्राथमिक शिक्षकों के लिए बीएड अमान्य हैं द्यसहायक शिक्षकों के लिए सिर्फ डीएलड ही मान्य हैं द्य सुनवाई पाश्चात्य उच्च न्यायालय ने बीएड अभ्यर्थी की काउंसिलिंग पर पर रोक लगा दी द्य जिसे अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी द्य जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के निर्णय पर रोक लगाते हुए बीएड शिक्षकों को भी अंतरिम रूप से नियुक्ति देने का निर्देश दिया, लेकिन उनकी नियुक्ति को हाईकोर्ट में लंबित प्रकरण के अंतिम निर्णय के अधीन रखा था। दिनांक 29 फरवरी 2024 को प्रकरण में अंतिम सुनवाई हुई, जिसके बाद हाईकोर्ट ने प्रकरण निर्णय के लिए सुरक्षित कर लिया। 2 अप्रैल 2024 को निर्णय सुनाया गया, जिसमें बीएड योग्यताधारी को अपात्र मानते हुए उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी गयी है। साथ ही 6 हफ्ते में डीएल योग्यताधारी की पुनरीक्षित चयन सूची बनाने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता की और से अधिवक्ता मिनाक्षी अरोरा, अनुराग दयाल, अजय श्रीवास्तव, इशान वर्मा ने पक्ष रखा।

मुठभेड़ में मारे गए आधा दर्जन नक्सली

बीजापुर-रायपुर। आरएनएस

जिले में सुरक्षा बल और माओवादियों के बीच हुए मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 6 नक्सलियों को मार गिराया है। मुठभेड़ के बाद सर्चिंग में कई घातक और स्वचलित हथियार के साथ ही दैनिक उपयोगी वस्तुएं मिली हैं।

दरअसल सोमवार रात बीजापुर जिले के गंगालूर थाना इलाके में डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा और सीआरपीएफ की संयुक्त पार्टी सर्चिंग के लिए रवाना हुई थी। जहां सर्चिंग के दौरान आज सुबह लगभग 6 बजे ग्राम लेंड्रा के जंगल में सुरक्षा बल के जवानों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। घंटो तक चले मुठभेंड़ के बाद नक्सली उल्टे पांव भाग निकले। जिसके बाद सुरक्षा बल के जवानों ने सर्चिंग की तो चार माओवादियों की मौत हो चुकी थी।

जिनके पास से आटोमेटिक हथियार 1 एसएमजी, बीजीएल लॉन्चर सहित बड़ी मात्रा में हथियार व गोला बारूद के साथ दैनिक उपयोगी सामान बरामत कर जब्त किया। मुठभेड में कई नक्सलियों के घायल होने की संभावना जवानों ने जताई है। जिसके बाद अभी भी जवानों की ओर से जंगल में सर्चिंग अभियान जारी है।

डाक मत पत्र से मतदान कर सकेंगे अनिवार्य सेवा कर्मी

❐ 10 सेवाओं को अनिवार्य सेवा के रूप में किया गया है अधिसूचित, निर्वाचन आयोग से जारी हुए हैं दिशा-निर्देश

रायगढ़। लोकसभा निर्वाचन-2024 अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य हेतु 10 सेवाओं को 'अनिवार्य सेवा' के रूप में अधिसूचित किया गया है। इन 10 सेवाओं में स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, रेल परिवहन, डाक एवं टेलीग्राम विभाग, बीएसएनएल, आल इण्डिया रेडियो, दूरदर्शन, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मीडियाकर्मी जिन्हें आयोग की अनुमति से प्राधिकार पत्र जारी किये जाएंगे एवं भारतीय खाद्य निगम शामिल हैं। अनिवार्य सेवा के रूप में अधिसूचित किए जाने से इन सेवाओं के ऐसे कर्मचारी, जो अपनी शासकीय ड्यूटी के कारण मतदान दिवस को मतदान केंद्र पर जाकर अपना वोट नहीं डाल पाते है, केवल उनके लिए डाकमत पत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान की जाती है। ऐसे सभी कर्मियों और 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग मतदाताओं और 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं को प्रारूप 12घ पर निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के पांच दिनों के भीतर की समय-सीमा में संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अपना आवेदन करना होगा। रायगढ़ जिले के कर्मियों को 17 अप्रैल 2024 तक करना होगा। फॉर्म 12घ जमा करने की अंतिम तिथि 17 अप्रैल 2024 है। प्रारूप 12घ में आवेदन करने वाले कर्मचारी को आवेदन में अपना मोबाइल नम्बर, वोटर आईडी नंबर एवं मतदाता सूची में भाग संख्या एवं सरल क्रमांक सही-सही दर्ज करना होगा। उन्हें वोटर आईडी कार्ड की छायाप्रति भी साथ में संलग्न करनी होगी। निर्वाचक नामावली में कर्मचारी की अद्यतन भाग संख्या एवं सरल क्रमांक पता करने हेतु वोटर हेल्पलाइन एप्प का उपयोग किया जा सकता है जिसमें वोटर आईडी कार्ड नंबर डालकर इसे खोजा जा सकता है। जिला स्तर पर नोडल अधिकारियों को फॉर्म 12घ में प्राप्त आवेदनों को इसके भाग 2 में सत्यापित करना अनिवार्य होगा।

नियत समयावधि तक प्राप्त सभी पात्र अनुपस्थित अनिवार्य श्रेणी के मतदाताओं को जिले में पोस्टल वोटिंग सेंटर स्थापित कर डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कराया जाएगा। पोस्टल वोटिंग सेंटर की स्थापना की सूचना से निर्वाचन लडऩे वाले सभी अभ्यर्थियों को अवगत कराया जाएगा ताकि वे मतदान की कार्यवाही के दौरान स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित रहकर इसका अवलोकन कर सकें। इसके साथ ही सम्पूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। प्रत्येक दिवस मतदान उपरान्त पोस्टल वोटिंग सेंटर से प्राप्त सभी डाक मतपत्रों को ट्रेजरी स्थित स्ट्रांग रूम में रख कर मतपेटी को सील किया जाएगा। फॉर्म 12घ में आवेदन प्राप्त होने और इसके स्वीकृत होने पर मतदाताओं को पोस्टल वोटिंग सेंटर स्थापना की तिथि एवं स्थान संबंधी सूचना प्रदान की जाएगी जिससे कि वे आकर अपना मतदान कर सकें। ऐसे सभी मतदाता मतदान दिवस को मतदान केंद्र पर अपना वोट नहीं डाल सकेंगे। इसलिए इन सेवाओं के ऐसे व्यक्ति जो मतदान के दिन मतदान केंद्र जाकर अपना वोट डालने में सक्षम है उन्हें इस सुविधा की पात्रता नहीं होगी और उन्हें आवेदन फॉर्म 12घ नहीं भरना होगा।

व्यापमं द्वारा आयोजित विभिन्न प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन आमंत्रित

सारंगढ़ बिलाईगढ़

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर ने आगामी जून-जुलाई से शुरू होने वाले कई प्रकार के कोर्स में प्रवेश (एडमिशन) हेतु पोस्ट बेसिक नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, सीजीटीईटी, प्रीएमसीए, पीईटी, पीपीएचटी, पीपीटी आदि के प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है। पीईटी, पीपीएचटी, पीपीटी, प्रीएमसीए, सीजीटीईटी और बीएससी नर्सिंग कोर्स में प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 7 अप्रैल 2024 है। इसी प्रकार पोस्ट बेसिक नर्सिंग प्रवेश, एमएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा के आवेदन के लिए अंतिम तिथि 11 अप्रैल 2024 है। इसी प्रकार पीएटी, पीव्हीपीटी प्रवेश परीक्षा के आवेदन के लिए अंतिम तिथि 14 अप्रैल 2024 है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर की वेबसाइट (व्यापमं डॉट सीजीस्टेट डॉट जीओव्ही डॉट इन) है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी, काउसलिंग, आवंटन आदि छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in और vyapamaar.cgstate.gov.in/ पर प्राप्त की जा सकती है।

सीएचसी पुसौर पहुंचे सीएमएचओ, साफ-सफाई एवं मेडिकल व्यवस्था की ली जानकारी

रायगढ़

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल के निर्देशन में आज मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.वी.के.चंद्रवंशी ने विकासखंड पुसौर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल की साफ-सफाई और मेडिकल व्यवस्था की जानकारी ली। उन्होंने अस्पताल में आज पर्यन्त तक आई.पी.डी शुरू नहीं होने पर गहरी नाराजगी जताते हुए एक सप्ताह के भीतर आई.पी.डी सुविधा प्रारंभ करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य केंद्र में सभी अधिकारी/कर्मचारी निर्धारित समय पर ड्यूटी संपादन करने व सेक्टर प्रभारियों से एम.टी बैठक में उच्च जोखिम गर्भवती की जांच, आयुष्मान भारत कार्ड योजना के तहत आईपीडी मरीजों के आयुष्मान कार्ड बनाने व संस्थागत प्रसव बढ़ाने के निर्देश दिये। साथ ही एनीमिक महिलाओं को एनीमिया से बचाव व खान पान पर विशेष ध्यान रखने एवं बेहतर इलाज करने के निर्देश दिए।

पेयजल समस्या के निराकरण हेतु टोल फ्री सहित सहायक दूरभाष नंबर जारी

सारंगढ़ बिलाईगढ़। कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू के निर्देशन में जिले के लोक यांत्रिकी विभाग द्वारा ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए पेयजल समस्या के तुरंत निराकरण और सुचारू संचालन एवं संधारण हेतु जिला स्तर पर पेयजल नियंत्रण प्रकोष्ठ का गठन किया गया है पेयजल नियंत्रण प्रकोष्ठ का दूरभाष 07768-233089 है। यह प्रकोष्ठ 30 जून 2024 तक के लिए प्रभावी है। सारंगढ़ और बरमकेला नियंत्रण प्रकोष्ठ प्रभारी उप अभियंता के आर सूर्यवंशी नियुक्त किए गए हैं, जिनका मोबाइल नंबर 8602103054 है। इसी प्रकार सारंगढ़ और बरमकेला नियंत्रण प्रकोष्ठ के सहायक के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर इंद्रदेव साहू नियुक्त है जिनका मोबाइल नंबर 7000 182661 है। बिलाईगढ़ नियंत्रण प्रकोष्ठ प्रभारी के रूप में सहायक अभियंता मनोज दाकोड़े को नियुक्त किया गया है जिनका मोबाइल नंबर 8109200800 है। बिलाईगढ़ नियंत्रण प्रकोष्ठ के सहायक के रूप में डाटा एंट्री ऑपरेटर रविशंकर सोनी को नियुक्त किया गया है जिनका मोबाइल नंबर 7240951085 है।

प्रकोष्ठ में पेयजल समस्या के निराकरण से संबंधित डाक एवं पत्राचार नियंत्रण प्रकोष्ठ सहायक द्वारा किया जाएगा। प्रकोष्ठ सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक कार्य करेगा। प्रकोष्ठ में प्राप्त शिकायतों के निराकरण हेतु एक रजिस्टर संधारित किया जाएगा, जिसे प्रतिदिन के प्राप्त शिकायतों का पूर्ण विवरण दर्ज होगा एवं संबंधित सहायक अभियंताओं उप अभियंताओं को शिकायत से अवगत कराएंगे एवं शिकायत का तिथिवार निराकरण संबंधी जानकारी का स्पष्ट उल्लेख रजिस्टर में होगा। जिला स्तर प्रखंड कार्यालय सारंगढ़-बिलाईगढ़ एवं प्रत्येक उपखंड एवं विकासखंड स्तर पर जनपद पंचायत मुख्यालय में शिकायत पंजी संधारित की जाएगी। शिकायत और सुझाव इन स्थानों पर दर्ज किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त विभागीय टोल फ्री नंबर 1800 2330008 में भी शिकायत सुझाव दर्ज किए जा सकेंगे।

ग्राम हर्राडीह और टिभाउडीह में अवैध शराब के साथ 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार

❐ आरोपियों से 24 लीटर महुआ शराब जब्त

रायगढ़। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देशन पर अवैध मादक पदार्थों पर कार्यवाही के क्रम में डीएसपी (साइबर सेल) अभिनव उपाध्याय के मार्गदर्शन पर पूंजीपथरा पुलिस द्वारा थाना प्रभारी निरीक्षक त्रिनाथ त्रिपाठी के नेतृत्व में कल थानाक्षेत्र के ग्राम - पूंजीपथरा, तुमीडीह, छर्राटांगर, टिभाउडीह में ग्रामीणों को नशा मुक्ति के संबंध में जागरूक कर अवैध शराब बिक्री की सूचना देने प्रेरित किया गया। इसी दरमियान मुखबिर से मिली सूचना पर हर्राडीह मार्ग जंगल रास्ते में आरोपी सुखलाल यादव निवासी चिराईपानी तथा

जगतराम यादव निवासी हर्राडीह को अवैध महुआ शराब के साथ पकड़ा गया है। वहीं ग्राम टिभाउडीह पुल के पास घेराबंदी कर आरोपी बिहारी लाल राठिया निवासी गदगांव तथा आरोपी गंगाधर राठिया निवासी हर्राडीह को अवैध शराब के साथ पकड़ा गया है। आरोपियों के कब्जे से 500-500 ml पॉलीथीन में भरा 48 पैकेट महुआ शराब कुल 24 लीटर महुआ शराब, कीमती 2400 रूपये की जप्ती की गई है। आरोपियों के कृत्य पर थाना पूंजीपथरा में पृथक-पृथक धारा 34(2),59(क) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया है।

कार्रवाई में पकड़े गये आरोपी-

(1) अपराध क्रमांक 95/2024- आरोपी सुखलाल यादव पिता तुलसीराम यादव उम्र 50 साल निवासी चिराईपानी थाना पूंजीपथरा

(2) अपराध क्रमांक 96/2024- आरोपी जगत राम यादव पिता ठाकुर राम यादव उम्र 55 साल निवासी हर्राड़ीह थाना पूंजीपथरा

(3) अपराध क्रमांक 97/2024- आरोपी बिहारी लाल राठिया पिता भारत लाल राठिया उम्र 31 साल निवासी गदगांव थाना पूंजीपथरा

(4) अपराध क्रमांक 98/2024- आरोपी गंगाराम राठिया पिता बोधराम राठिया उम्र 45 साल निवासी ग्राम हर्राड़ीह थाना पूंजीपथरा

थाना प्रभारी पूंजीपथरा निरीक्षक त्रिनाथ त्रिपाठी के नेतृत्व में शराब रेड कार्रवाई में सहायक उप निरीक्षक चंदन सिंह नेताम, प्रधान आरक्षक अमित तिर्की, विनीत तिर्की, लाजरूस मिंज, आरक्षक उमाशंकर भगत, निर्दोष लकड़ा शामिल थे।

26.800 किलोग्राम गांजा के साथ दो अंर्तराज्यीय तस्कर चढ़े पुलिस के हत्थे

गरियाबन्द-रायपुर। आरएनएस

आगामी लोकसभा चुनाव के मध्य नजर जिला गरियाबन्द क्षेत्रांन्तर्गत् अवैध कारोबारियों (हीरा, गांजा, शराब, जुआ, सट्टा एवं वन्य प्राणी तस्करों पर) शिंकजा कसते हुये गांजा परिवहन करने वालों के ताक में पुलिस द्वारा निरंतर जागरूक होकर अवैध कार्यवाही रोकने हेतु पुलिस कप्तान अमित तुकाराम काम्बले के दिशा निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र चन्द्राकर व अनुविभागीय अधिकारी पुलिस गरियाबंद गोपाल वैश्य के मार्ग दर्शन पर थाना प्रभारी सिटी कोतवाली गरियाबंद निरीक्षक कृष्णा प्रसाद जागड़े द्वारा टीम गठित कर एवं सायबर टीम गरियाबंद के द्वारा पेट्रोलिंग के दौरान संदिग्ध वाहनो की चेकिंग कार्यवाही की जाती रही है।

इसी क्रम में आज दिनांक 01.04.2024 को दो युवक मां शारदा बस क्रमांक सीजी-23 एल-0172 झाखरपारा देवभोग से रायपुर ले जाने के दौरान उक्त जानकारी पर जिला गरियाबंद के स्पेशल टीम एवं थाना गरियाबंद पुलिस द्वारा रोककर पूछताछ करने पर आरोपी 01. अजमत खान पिता हफीजुल्ला खान उम्र 27 साल निवासी उचोद थाना अकोदिया जिला साजापुर (मध्यप्रदेश) 02. अरशद खान पिता मजिदुल्ला खान उम्र 26 साल निवासी ग्राम पिरावा थाना पिरावा जिला झालावाड़ (राजस्थान) से कुल 26.800 किलोग्राम गांजा को उड़िसा से खरीदकर लाना बताये जिसका कीमत 2,68,000/ रूपये एवं 02 नग मोबाईल किमती 22,000 रू / कुल जुमला कीमती 2,90,000/रूपये को पकडऩे में सफलता हासिल हुई। कार्यवाही पश्चात उक्त आरोपियो को रिमाण्ड पर जेल भेजा गया। वरिष्ठ अधिकारियो द्वारां पुलिस को इस प्रकार के अवैध कारोबारियो पर निरंतर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली गरियाबंद निरीक्षक कृष्णा प्रसाद जागड़े, स.उ.नि. टीकाराम ध्रुव प्रआर डिगेश्वर साहू, स्पेशल टीम, सउनि मनीष वमा सुशील पाठक, सतीश गिरी, देवेन्द्र सोनवानी, गजानंद सिन्हा, की सराहनीय भूमिका रही।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्दे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंर्तराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU